

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1726 /4116/2020/38-1

भोपाल, 06/08/2021

प्रति,

श्री भारतेन्दु सिद्धार्थ गौतम,
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र,
शासकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सिरोंज, जिला विदिशा,

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग से राजस्व विभाग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त करने बाबत

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक 208/4116/2020/38-1, दिनांक 03.02.2021 एवं आपका अभ्यावेदन दिनांक 02.08.2021.

* * *

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 03.02.2021 द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत पुनः नायब तहसीलदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनापत्ति प्रदाय की गई थी, जिसके अनुक्रम में राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 29.07.2021 द्वारा आपकी सेवाएँ धारणाधिकार के तहत वापिस लेते हुए नायब तहसीलदार के पद पर जिला श्योपुर में पदस्थ किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में उच्च शिक्षा विभाग से कार्यमुक्त किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2/ उपरोक्तानुसार आपको राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से कार्यमुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

del 31/09/21
(श्वेता पवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 06/08/2021

पृष्ठा.क्रमांक 1727 /4116/2020/38/1

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, म.प्र.,
2. अवर सचिव, मप्र शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग, भोपाल,
4. प्राचार्य, शासकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरोंज,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

del 31/09/21
उप सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग